ऑनलाइन प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के लिये F.A.Q.

प्रश्न-1: प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य?

उत्तर: प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

1- सदस्यों में मितव्ययता, अपनी मदद अपने आप करने और एक-दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक योजनायें बनाना और दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित कराने के बाद उन्हें कार्यान्वित करना।
2- दुग्ध संघ द्वारा दूध के अधिक लाभदायक क्रय-विक्रय सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
3- सदस्यों को स्वच्छ एवं शुद्ध दूध उत्पादन की वैज्ञानिक विधि की जानकारी कराना। एवं समिति को शुद्ध एवं स्वच्छ दूध देने को प्रेरित करना।

प्रश्न-2: प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ गठित की जा सकती है ?

उत्तर: विवरण देखने हेतु यहाँ क्लिक करें.

प्रश्न-3: प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के गठन की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर: विवरण देखने हेतु यहाँ क्लिक करें.

प्रश्न-4: क्या प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का निबन्धन ऑन-लाइन माध्यम से किया जा सकता है ?

उत्तर: हॉ, यह प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट www.updairydevelopment.gov.in एवं e-District Portal के माध्यम से की जा सकती है।

प्रश्न-5: प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के निबन्धन हेतु ऑनलाइन आवेदन किसके द्वारा किया जायेगा ?

उत्तर: इच्छुक दुग्ध उत्पादक सामान्य सहमति से समिति गठन की अग्रेतर कार्यवाही हेतु एक मुख्य प्रर्वतक का चुनाव करेंगे एवं चयनित मुख्य प्रर्वतक द्वारा समिति निबन्धन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी अधिक जानकारी हेतु यहाँ क्लिक करें.

प्रश्न-6: क्या ऑनलाइन माध्यम से समिति निबन्धन हेतु आवेदन करने का कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा ?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। शासनादेश के अनुसार केवल समिति निबन्धन एवं आदर्श उपविधियों का शुल्क ट्रेजरी चालान (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) के माध्यम से जमा करना होगा जोकि क्रमशः रू० 50, रू० 80 निर्धारित है।

प्रश्न-7: ऑनलाइन आवेदन करने के लिये मुख्य प्रवर्तक को क्या करना होगा ?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के लिये मुख्य प्रर्वतक को विभाग की वेबसाइट www.updairydevelopment.gov.in अथवा e-District के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिये मुख्य प्रवर्तक को अपना नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित करना होगा। पंजीकरण के उपरान्त मुख्य प्रर्वतक के मोबाइल पर यूजरनेम एवं पासवर्ड SMS के माध्यम से प्राप्त होगा। तत्पश्चात् लॉग इन कर निर्धारित प्रारूप में समस्त विवरण भरकर एवं आवश्यक संलग्नक अपलोड कर अन्तिम रूप से सबमिट करना होगा। सफलता पूर्वक सबमिट होने के पश्चात् आवेदक के मोबाइल पर SMS के द्वारा आवेदन संख्या (Application-ID) प्राप्त होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

प्रश्न-8: ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें ?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश देखने के लिये यहाँ क्लिक करें.

प्रश्न-11: क्या ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट करने के पश्चात् उसमें कोई सुधार सम्भव होगा? यदि हाँ तो कैसे?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त मुख्य प्रर्वतक द्वारा कोई सुधार सम्भव नहीं होगा।

प्रश्न-9: ऑनलाइन आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट करने के उपरान्त मुख्य प्रर्वतक को क्या करना होगा ?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट करने के उपरान्त आवेदक को "Print Application" का विकल्प दिखाई देगा. मुख्य प्रवर्तक को चाहिए कि आवेदन की एक प्रति प्रिंट कर अपने पास भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रख ले. प्राप्त आवेदनों एवं संलग्नकों की जॉच विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से की जायेगी जिसकी सूचना समय-समय पर आवेदक को SMS के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इसके लिए मुख्य प्रर्वतक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न-10: ऑनलाइन आवेदनों पर चल रही विभागीय प्रगति की जानकारी आवेदक (मुख्य प्रवर्तक) को किस प्रकार प्राप्त होगी.

उत्तर: प्राप्त आवेदनों एवं संलग्नकों की जॉच विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से की जायेगी जिसकी सूचना समय-समय पर आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इसके लिए मुख्य प्रर्वतक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध "Application Status" लिंक पर क्लिक कर आवेदन संख्या (Application-ID) भर कर आवेदन की वर्त्तमान स्थिति देख सकते हैं.

प्रश्न-11: ऑनलाइन आवेदन में जाँच के दौरान विभाग द्वारा आपत्ति होने पर मुख्य प्रर्वतक को क्या करना होगा?

उत्तर: आपत्ति होने पर विभाग द्वारा SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा तत्पश्चात् मुख्य प्रर्वतक द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर त्रुटि को सही करके पुनः आवेदन सबमिट करना होगा।

प्रश्न-12: निबन्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये मुख्य प्रर्वतक को क्या करना होगा ?

उत्तर: जॉच के उपरान्त सही पाये गये आवेदनों की समितियों का निबन्धन प्रमाण-पत्र **दुग्धशाला विकास अधिकारी** द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसे डिजिटली साइन करके मुख्य प्रर्वतक के Panel पर उपलब्ध करा दिया जायेगा और इसकी सूचना मुख्य प्रवर्तक को SMS के माध्यम से दे दी जायेगी, मुख्य प्रवर्तक login करके निबन्धन प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है।